न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–179/2017
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रूदल यादव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25.09.2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1410/सी0, दिनांक–31.08.2017 से बहादुरपुर थाना कांड सं0–298/17 दिनांक 20.07.2017 में जब्त मोटर साईकिल नं0–BR06AN-7037 के अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण राज्यसात् हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। तत्पश्चात् अभिलेखीय कार्रवाई पूर्ण करते हुए उक्त जब्त वाहन का राज्यसात् हेतु आदेश दिनांक 29.11.2017 को पारित है। इस बीच विपक्षी वाहन स्वामी रूदल यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर 13152/18 दिनांक 13.07.18 तथा 31.07.2018 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में बंधपत्र तथा दो प्रतिभूति दाखिल किया गया है, का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 31.07.18 में स्पष्ट है कि अगर वाहन का नीलाम नहीं हुआ है तो सशर्त्त वाहन विमुक्त किया जाय। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन के क्रम में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत नीलाम किये गये वाहनों का आदेश संबंधी पत्र का अवलोकन किया गया जो अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा के कार्यालय पत्रांक 96/उ0 दिनांक 21.01.18 से निर्गत है। उक्त पत्र से स्पष्ट है कि दिनांक 19.01.2018 को सम्पन्न पुलिस विभाग में जब्त वाहनों की नीलाम में सर्वोच्च डाकवक्ता श्री विशाल कुमार शर्मा, पे0–श्री गौड़ी शंकर शर्मा, साकिन–शर्फुद्दीनडीह शिवानी नगर, दरभंगा द्वारा उक्त वाहन का प्राप्त किया गया है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर–13152/18 दिनांक 31.07.2018 को आदेश पारित है कि अगर उक्त वाहन को नीलाम नहीं किया गया है, तो सशर्त्त वाहन को विमुक्त किया जाय, परन्तु उक्त आदेश के पूर्व ही दिनांक 19.01.2018 को उक्त वाहन की नीलामी पूर्ण करते हुए सर्वोच्च डाकवक्ता को वाहन सुपुर्द कर दिया गया है। इस परिस्थिति में आवेदक द्वारा वाहन विमुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, अतएव वाद की कार्यवाही समाप्त की जा	

सकती है।

अतएव विद्वान् विभागीय अधिवक्ता एवं माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट है कि बहादुरपुर थाना कांड सं0–298/17 दिनांक 20.07.2017 में जब्त वाहन का दिनांक 29.11.2017 को राज्यसात् के आदेश के उपरान्त दिनांक 19.01.2018 को नीलाम किया जा चुका है। इसलिए इस वाद में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अतः विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत वाहन सं0–BR06AN-7037 की विमुक्ति हेतु आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–179 / 2017
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रूदल यादव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25.09.2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1410 / सी0, दिनांक–31.08.2017 से बहादुरपुर थाना कांड सं0–298 / 17 दिनांक 20.07.2017 में जब्त मोटर साईकिल नं0–BR06AN-7037 के अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण राज्यसात् हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। तत्पश्चात् अभिलेखीय कार्रवाई पूर्ण करते हुए उक्त जब्त वाहन का राज्यसात् हेतु आदेश दिनांक 29.11.2017 को पारित है। इस बीच विपक्षी वाहन स्वामी रूदल यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर 13152 / 18 दिनांक 13.07.18 तथा 31.07.2018 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में बंधपत्र तथा दो प्रतिभूति दाखिल किया गया है, का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 31.07.18 में स्पष्ट है कि अगर वाहन का नीलाम नहीं हुआ है तो सशर्त्त वाहन विमुक्त किया जाय। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन के क्रम में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत नीलाम किये गये वाहनों का आदेश संबंधी पत्र का अवलोकन किया गया जो अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा के कार्यालय पत्रांक 96 / उ0 दिनांक 21.01.18 से निर्गत है। उक्त पत्र से स्पष्ट है कि दिनांक 19.01.2018 को सम्पन्न पुलिस विभाग में जब्त वाहनों की नीलाम में सर्वोच्च डाकवक्ता श्री विशाल कुमार शर्मा, पे0–श्री गौड़ी शंकर शर्मा, साकिन–शर्फुद्दीनडीह शिवानी नगर, दरभंगा द्वारा उक्त वाहन का प्राप्त किया गया है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर–13152 / 18 दिनांक 31.07.2018 को आदेश पारित है कि अगर उक्त वाहन को नीलाम नहीं किया गया है, तो सशर्त्त वाहन को विमुक्त किया जाय, परन्तु उक्त आदेश के पूर्व ही दिनांक 19.01.2018 को उक्त वाहन की नीलामी पूर्ण करते हुए सर्वोच्च डाकवक्ता को वाहन सुपुर्द कर दिया गया है। इस परिस्थिति में आवेदक द्वारा वाहन विमुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, अतएव वाद की कार्यवाही समाप्त की जा	

सकती है।

अतएव विद्वान् विभागीय अधिवक्ता एवं माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट है कि बहादुरपुर थाना कांड सं0–298/17 दिनांक 20.07.2017 में जब्त वाहन का दिनांक 29.11.2017 को राज्यसात् के आदेश के उपरान्त दिनांक 19.01.2018 को नीलाम किया जा चुका है। इसलिए इस वाद में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अतः विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत वाहन सं0–BR06AN-7037 की विमुक्ति हेतु आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा